# प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 27-08-2020

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वश्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय कोतवाली के नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2020 को मैं थानाध्यक्ष अरुण पवार मय हमराह का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह , का0 दीपक कुशवाहा ,का0 अक्षय कुमार व म0का0 रिचा मिश्रा मय जीप सरकारी UP 53 AG 0872 मय चालक हे0का0 अशोक सिंहके थाने से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र शान्तिव्यवस्था/लॉंक डाउन ड्यूटी में चौकी पाण्डेयहाता पर मामूर था किजरिये मुखवीर खास सूचना मिली कि आपके बलात्कार के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक साहनी पुत्र राज देव साहनी साकिन खानीपुर थाना सहजनवां जिला गोरखपु र न्यायालय जाने के लिये हर्वट बंधा तिराहे पर खडे होकर आटो का इन्तजार कर रहा है , यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है मुखबिर कि इस सूचना पर विश्वास करके मै थानाध्यक्ष हमराही कर्मचारीगण को सूचना से अवगत कराकर मय हमराहियान मय मुखबिर के घण्टाघर से प्रस्थान कर हर्वट बंधा तिराहे से करीब 100 मीटर पहले पर पहुंचकर सरकारी जीप को आड़ में खडी कर छिपते छिपाते हुए हमराहीगण मय मुखबिर के साथ हर्वट बंधा की ओर चला कि कुछ दूर ही जाने पर मुखबिर द्वारा हर्वट बंधा तिराहे पर खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया कि साहब वही अशोक साहनी है जो आपके बलात्कार के मुकदमें में वांछित है , कहकर मुखबिर हटबढ गया कि मै थानाध्यक्ष मय हमराहीकर्मचारीगण के मदद से एक बारगी दबिश देकर जो हमपुलिस वालो को देखकर भागना चाहा कि करीब 1015 कदम जाते जाते दौडाकर उक्त खडे व्यक्ति को पकड लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम अशोक साहनी पुत्र राज देव साहनी साकिन खानीपुर थाना गीडा जिला गोरखपुर बताया । कारण गिरफ्तारी बताते हुए अभियुक्त अशोक साहनी को हिरासत पुलिस में लिया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है।

## अभियुक्त का नाम व पता -

अशोक साहनी पुत्र राजदेव साहनी निवासी खानीपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं008/2020 धारा 376, 406 भादवि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तार करने वाले अधिकारी-कर्मचारीगण का नाम/

1- थानाध्यक्ष श्री अरुण पवार (थाना-राजघाट)
2- का0 धर्मेन्द्र सिंह(थाना-राजघाट)
3- का0 दीपक कुमार कुशवाहा( थाना राजघाट)
4- का0 अक्षय कुमार चौहान ( थाना राजघाट)
5- म0का0 रिचा मिश्रा( थाना राजघाट)